

मुज्जफरनगर दंगे से संबंधित रिपोर्ट

1162. श्री साबिर अली :

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने हाल ही में हुए मुज्जफरनगर दंगे के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री

(श्री निनोंग ईरींग)

- (क) जी हाँ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गृह मंत्रालय को मुज्जफरनगर दंगे के संबंध में रिपोर्ट सौंपी गई थी। गृह मंत्रालय ने उसे उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित कर दिया था।
- (ख): भारत के संविधान के अंतर्गत “पुलिस” तथा “लोक व्यवस्था” राज्य के विषय होने के नाते, साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने तथा इस संबंध में संगत आँकड़ों का रख-रखाव करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है।

तथापि, देश में साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए, केंद्र सरकार साम्प्रदायिक स्थितियों से निपटने के लिए विशेष तौर पर सृजित मिश्रित द्रुत कार्रवाई बल संबंधित राज्य सरकारों को विशेष अनुरोध करने पर तथा राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण सहित भेजने, सतर्कता संदेश भेजने, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भेजने जैसे विभिन्न माध्यमों से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की सहायता करती है। इसके अलावा, केंद्र सरकार समय-समय पर इस संबंध में हिदायतें भेजती है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को साम्प्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश भी परिचालित किए हैं। देश के साम्प्रदायिक सद्भाव के आचरण वाले सभी संगठनों के कार्यकलापों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की लगातार नजर रहती है और जहाँ भी आवश्यक हो, अपेक्षित कानूनी कार्रवाई की जाती है।
